

-हुक्मनामा-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या/56

दिनांक 23-5-22

नानुराम पिता दौलतराम जाति भील आयु वयस्क निवासी केली तह0  
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0  
.....प्रार्थीगण

-बनाम-

1. निजाम हुसैन पिता हुसैन बक्ष मुसलमान नि0 अठाना तह0 जावद
2. बिस्मिल्ला पत्नी युसूफ अली मुसलमान अठाना तह0 जावद म0प्र0
3. भंवरलाल पिता कजोड जी धाकड आयु वयस्क नि0 तुम्बा म0प्र0
4. कमला बाई पत्नी बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बा म0प्र0
5. हीरालाल पिता हरीराम जी कीर आयु वयस्क नि0 कीरपुरा म0प्र0
6. भंवरलाल पिता चुना जी कीर आयु वयस्क नि0 कीरपुरा म0प्र0
7. शंकरलाल पिता चुना जी कीर आयु वयस्क नि0 कीरपुरा म0प्र0
8. बद्रीलाल पिता चुना जी कीर आयु वयस्क नि0 कीरपुरा म0प्र0
9. बंशीलाल पिता चुना जी जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरपुरा  
म0प्र0 ..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

बाबत पत्थरगढी आराजीयात




बनाम:- तहसीलदार, निम्बाहेडा राज0

जोकि, प्रार्थी ने उपरोक्त उनवान का एक आवेदन पत्र बाबत पत्थरगढी आराजी खाता सं0 288 की आ0नं0 1412 रकबा 1.2600 हैक्टेयर लगानी 4.41 रूपये मोजा केली प0ह0 केली तह0 निम्बाहेडा हेतु पेश किया तथा साथ में नकल खतोनी पेश की। पत्रावली का अवलोकन कर व उन पर विश्वास करते हुए आपको जरिये हुक्मनामा के आदेशित किया जाता है

[2]

कि आप पक्षकारान को सुचित कर मौके पर पहुंच कर बिना किसी के कब्जे में दखल दिये आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व जिसकी फीस 1.00.00... रूपये पत्थरगढी प्रार्थी से वसुल कर राजकोष में जमा करायें। पर्चा रिपोर्ट पुनः न्यायालय में दिनांक 22/6 / 2022 को पेश करें।

अतः यह हुक्मनामा आज मैरे हस्ताक्षर व मोहर के आज दिनांक 23/5 / 2022 को जारी किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा (चिन्तामण)

